



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230121
CG-DL-E-01102021-230121

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3725]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/ आश्विन 9, 1943

No. 3725]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4059(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के एस पी एस नेल्लोर जिले में, नेल्लोर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 पर पेन्नार नदी के पार कि.मी. 738.800 पर पहुंच सहित नए 2 लेन प्रमुख पुल के निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एस पी एस नेल्लोर जिले में, नेल्लोर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 पर पेन्नार नदी के पार कि.मी. 738.800 पर पहुंच सहित नए 2 लेन प्रमुख पुल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रिवेन्यू डिविज़नल ऑफिसर, नेल्लोर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH67 के कि.मी. 738.52 से 740.13 तक	आंध्र प्रदेश	एसपीएस नेल्लोर	नेल्लोरे अर्बन	1 नेल्लोरे बिट-१ 2 नेल्लोरे बिट-२
					नेल्लोरे रूरल	1 नेल्लोरे बिट-१ 2 नेल्लोरे बिट-२
					कोवूर	1 कोवूर 2 पाडुगुपाडु

[फा. सं. RW/NH-12037/1/2021-22/AnnualPlan-AP]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4059(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of new 2 lane Major Bridge including approaches at Km. 738.800 across Pennar River on National Highway No. 67 at Nellore, in the SPS Nellore District in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition for Construction of new 2 lane Major Bridge including approaches at Km. 738.800 across Pennar River on National Highway No. 67 at Nellore, in the SPS Nellore District in the State of ANDHRA PRADESH

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional	738.52KM To	ANDHRA PRADESH	SPS Nellore	Nellore Urban	1 Nellore Bit-1

	Officer, Nellore	740.13KM					2	Nellore Bit-2
					Nellore Rural		1	Nellore Bit-1
							2	Nellore Bit-2
					Kovur		1	Kovur
							2	Padugupadu

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/AnnualPlan-AP]

RAJESH GUPTA, Director